न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) धौरपुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क0 / अ–62 / 2024–-25

करीमन आ0 राना जाति–उरांव
निवासी ग्राम गंझाडांड़
तहसील–लुण्ड्रा (धौरपुर)
जिला–सरगुजा (छ0ग0) ---- ---- आवेदक

प्रति

छ0ग0 शासन

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 09 / 06 / 2025)

(अन्तर्गत छ0ग0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–240–241 के तहत)

आवेदक करीमन आ0 राना जाति उरांव निवासी ग्राम गंझाडांड तहसील–लुण्ड्रा (धौरपुर) जिला–सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व की ग्राम गंझाडांड तहसील लुण्ड्रा (रघुनाथपुर) स्थित भूमि ख0नं0 1 / 27 रकवा 0.607 हे0 भूमि (वाद भूमि से संबोधित किया जायेगा) पर 04 नग साल (सरई) के पेड़ हैं जिसे काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

– प्रकरण विधिवत शीर्ष अ–62 में दर्ज किया गया।

– प्रकरण में राजस्व निरीक्षक रघुनाथपुर एवं वन परिक्षेत्र सहायक सुमेरपुर से जांच प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्राधिकारी लुण्ड्रा द्वारा मय पंचनामा अपने जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की ख0नं0 1 / 27 रकवा 0.607 हे0 भूमि पर साल (सरई) के 04 नग खड़े बृक्ष मौके पर पाया गया उक्त बृक्षों का छाती का गोलाई का माप कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

–राजस्व निरीक्षक मण्डल रघुनाथपुर एवं वन परिक्षेत्राधिकारी लुण्ड्रा से कंडिकावार जांच प्रतिवेदन लिया गया जो निम्नानुसार है :–

1– आवेदित बृक्ष किसी जलाशय, झरने अथवा तालाब के किनारे से 30 मीटर के अंदर अवस्थित नहीं है।

2– किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच 15 मीटर अंदर एवं किसी पगडंडी से 06 मीटर के अंदर नहीं है।

3– किसी पवित्र स्थल से 20 मीटर क्षेत्र में सम्मिलित उपवन में नहीं है। और न ही आवेदित क्षेत्र किसी उपवन में शामिल नहीं है।

4– वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजाति बृक्षारोपण नहीं किया गया है।

5– पहाड़, कब्रिस्तान अथवा शमशान, गोठान, खलिहान बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किये गये किसी क्षेत्र के समीप में नहीं है।

6– पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर नीचे क्षेत्र पर आवेदित बृक्ष अथवा काटे जाने वाले बृक्ष स्थित नहीं है।

7– प्राकृतिक रूप से बृक्ष उगे हुए है। बृक्षों को काटे जाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

– प्रकरण का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न राजस्व अभिलेख अनुसार ख0नं1 / 27 रकवा 0.607 हे0 भूमि आवेदक करीमन आ0 राना जाति उरांव निवासी

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धौरपुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

ग्राम गंझाडांड के नाम पर दर्ज है। राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि पर 04 नग साल (सरई) के बृक्ष मौके पर बताया गया। आवेदक द्वारा अपने खाते की भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे 04 नग साल सरई के बृक्ष कृषि भूमि को छाया कर देती है जिससे फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। जिसे काट कर बिकी करना चाहता है। छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के कण्डिका 07 प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई:–(1) भूमिस्वामि अपने खाते में प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्ष की कटाई हेतु आवेदन प्रारूप ''ग'' में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को देगा। उपधारा कण्डिका 03 अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में एक खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 प्रति एकड़ के मान से अधिकतम 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी।

– आवेदक करीमन आ0 राना जाति उरांव निवासी ग्राम गंझाडांड तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर) जिला सरगुजा (छ0ग0) के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम गंझाडांड स्थित भूमि ख0नं0 1/27 रकबा 0.607 हे0 भूमि पर स्थित 04 नग साल (सरई) के बृक्षों को काटे जाने की अनुमति/अनापत्ति निम्न शर्तों के अधीन छ0ग0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–240, 241 व छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 दिये गये प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती है।

शर्तें :–

(क) बृक्षों की कटाई छ0ग0 वन उपज (व्यापार विनयमन) अधिनियम 1969 (क0 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1027 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार भूमिस्वामी बृक्षों की कटाई कर सकेगा।

(ख) भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित बृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। वन मण्डलाधिकारी बृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करेंगे एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले बृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा बृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 06 फीट के बृक्ष रोपित किये जायेंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दी जायेगी।

–आज दिनांक 09–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा सहित आदेश पारित एवं उद्घोषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
धौरपुर, जिला–सरगुजा (छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धौरपुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)

पृ0क0 /वाचक/2025 धौरपुर, दिनाक जून 2025

प्रतिलिपि :–

1– वन मण्डलाधिकारी अम्बिकापुर जिला–सरगुजा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु ।

2– ना0तहसीलदार रघुनाथपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3– आवेदक करीमन आ0 राना जाति उरांव निवासी ग्राम गंझाडांड तहसील–लुण्ड्रा (धौरपुर) जिला–सरगुजा (छ0ग0) को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
धौरपुर,जिला–सरगुजा (छ0ग0)

विभागीय अधिकारी (रा.)
धौरपुर
ा- सरगुजा (छ.ग.)